रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 576] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2019/आश्विन 8, 1941
No. 576] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2019/ASVINA 8, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

आय-कर

सा.का.नि. 701(अ).—केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 92 गङ की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (ग्यारहवाँ संशोधन) नियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 10 गख में,—

(*I*) दोनों स्थानों पर आने वाले "अतिरिक्त धन" शब्दों के स्थान पर "अतिरिक्त धन या उसका भाग" शब्दों को रखा जाएगा;

(*II*) उप-नियम (1) में,—

(अ) खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात :—

"(iii) उस दशा में जहां पूर्व वर्ष के संबंध में अंतरण कीमत के लिए प्राथमिक समायोजन निर्धारिती द्वारा अधिनियम की धारा 92 गग के अधीन किए गए अग्रिम कीमत करार द्वारा अवधारित है, वहाँ—

(क) यदि सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए विवरणी फ़ाइल करने की नियत तारीख को या पहले अग्रिम कीमत करार किया गया है तो अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फ़ाइल करने की तारीख से;

(ख) यदि सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए विवरणी फ़ाइल करने की नियत तारीख के पश्चात उक्त करार किया गया है तो जिस मास में अग्रिम कीमत करार किया गया है उसकी समाप्ति से";

(आ) खंड (v) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: —

"जहां अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क के अधीन किए गए दोहरे कराधान का परिवर्जन करार के अधीन अंतरण कीमत के लिए प्राथमिक समायोजन ऐसे समाधान द्वारा अवधारित है, वहाँ पारस्परिक करार प्रक्रिया के अधीन निकाले गए समाधान को नियम 44ज के अधीन निर्धारण आधिकारी द्वारा प्रभावी बनाने की तारीख से";

(III) उप-नियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"(3) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट ब्याज अतिरिक्त धन या उसके भाग पर जो संप्रत्यावर्तित नहीं किया गया है—

(क) खंड (i), खंड (iii)) के उप-खंड (क) और उप-नियम (1) के खंड (iv) में निर्दिष्ट मामलों में, अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी को फ़ाइल करने की नियत तारीख से;

(ख) उप-नियम (1) के खंड (ii) में निर्दिष्ट मामलों में, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की तारीख से ;

(ग) उप-नियम (1) के खंड (iii) के उप-खंड (ख) में निर्दिष्ट मामलों में, अधिनियम की धारा 92गग के अधीन निर्धारिती द्वारा जिस मास में अग्रिम कीमत करार किया गया है उसकी समाप्ति से;

(घ) उप-नियम (1) के खंड (v) में निर्दिष्ट मामलों में, पारस्परिक करार प्रक्रिया के अधीन निकाले गए समाधान को नियम 44ज के अधीन निर्धारण आधिकारी द्वारा प्रभावी बनाने की तारीख से

प्रभार्य किया जाएगा।";

(IV) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् : —

"स्पष्टीकरण - *इस नियम के प्रयोजनों के लिए, —*

(क) "अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार" का वही अर्थ होगा जो इसे अधिनियम की धारा 92ख में दिया गया है;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार का विदेशी मुद्रा में अंकित मूल्य की रुपए में मूल्य की संगणना के लिए विनिमय की दर उस पूर्व वर्ष के अंतिम दिन का ऐसी मुद्रा का तार अंतरण क्रय दर होगा जिसमें ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार किया गया है और "तार अंतरण क्रय दर" का वही अर्थ होगा जैसा नियम 26 के स्पष्टीकरण में दिया गया है"।

[अधिसूचना सं. 76/2019/फा.सं. 370142/12/2017-टीपीएल]

नीरज कुमार, उप सचिव (कर नीति और विधायन प्रभाग)

टिप्पण: मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किया गया था और इनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि 694(अ) तारीख 27 सितम्बर, 2019 द्वारा किया गया था ।